Witness No.----**01**----for ---------**अनावेदक साक्ष्य**

Deposition taken the **15/07/2026** day of witness's apparent age **34 वर्ष**

States affirmation – **शपथपूर्वक** my name is ---**खुमेश्वर साहू**------

S/D/W of ---**श्री अनिरुध साहू**---occupation–**सहायक विधि अधिकारी**---

address --**चोला मण्डलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर (छ.ग.)**---

मो.नं. 9131376383 ------------------------------------

परीक्षण प्रारंभ समयः– 4:56 P.M.

<u>मुख्य परीक्षण अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री विजय बारले अधिवक्ता</u>

1. मैं चोला मण्डलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर में सहायक विधि अधिकारी के पद पर अक्टूबर 2024 से अब तक पदस्थ हूं । वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 का हमारी कंपनी के द्वारा प्राईवेट कार पैकेज पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था, जिसकी म्याद अवधि 09–11–2024 से 08–11–2025 तक थी, जिसकी बीमा पॉलिसी **प्रदर्श डी–01** है। इस प्रकरण के पुलिस दस्तावेज के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि घटना दिनांक 28–12–2024 की है और इस घटना की शिकायत घटना के 20 दिन बाद दिनांक 18–01–2025 को थाना अर्जुन्दा में किया गया है । घटना के तत्काल बाद थाना अर्जुन्दा के पुलिस वालों द्वारा आहत का डॉक्टरी मुलाहिजा में अज्ञात वाहन के ठोकर मारने से दुर्घटना होने का उल्लेख है तथा इस प्रकरण में थाना अर्जुन्दा द्वारा दिनांक 18–01–2025 को वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 के चालक के विरुद्ध

अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा घटना के करीब साढ़े 03 माह बाद दिनांक 04-03-2025 को वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 को मय दस्तावेज जप्त किया गया है । इस प्रकरण में संलग्न पुलिस दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 को झूठा आलिप्त किया गया है, इसलिए हमारी कंपनी का क्षतिपूर्ति हेतु कोई दायित्व निर्मित नहीं होता है।

प्रतिपरीक्षण अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा श्री अनिश वागमारे अधिवक्ता

2. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण आवेदकगण द्वारा श्री अनिल जैन अधिवक्ता

3. यह कहना सही है कि हमे आवेदन पत्र की प्रति मिलने के पश्चात घटना के संबंध में जांच करने हेतु अन्वेषणकर्ता नियुक्त किया गया था । इस प्रकरण की भी हमारे द्वारा जांच करायी गयी थी । यह कहना सही है कि उक्त अन्वेष्ण रिपोर्ट को हमारे द्वारा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि अन्वेषण रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नाम एवं नंबर का उल्लेख होता है । यह कहना गलत है कि वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 से दुर्घटना हुई थी, यह बात हमारे अन्वेषणकर्ता ने उल्लेखित कर प्रदान नहीं किया था । यह कहना गलत है कि हमारे अन्वेषणकर्ता ने वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 से दुर्घटना होने की बात अपने अन्वेषण रिपोर्ट में उल्लेखित की थी, इसलिए हमने अन्वेषण रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना सही है कि मैं बीमा कंपनी का वेतनिक कर्मचारी हूं । यह कहना गलत है कि मैं झूठा

बयान दे रहा हूं । यह कहना सही है कि वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वी 3894 को इस प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है, इस संबंध में शिकायत किसी भी फोरम में नहीं की थी, स्वतः कथन है कि प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण हमारे द्वारा किसी भी फोरम में शिकायत नही किया गया है ।

परीक्षण समाप्ति समयः– 5:12 P.M.

पढ़ा गया, सही होना स्वीकार किया गया।

सही/–
(ताजुद्दीन आसिफ)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(ताजुद्दीन आसिफ)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर